# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

**(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्या 96/2019**

1. मॉ कैलादेवी स्टोन क्रेशर जरिये नरेश पटेल पुत्र गिर्राज प्रसाद जाति गुर्जर निवासी भगोरी तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. सावलिया पुत्र टीकाराम जाति कोली निवासी घाटरी तहसील भुसावर जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 14.07.2016 व मुकदमा रिपोर्ट पटवारी घाटरी बनाम मॉ कैलादेवी स्टोन क्रेशर मि0न0 06/2016 कार्यवाही अन्तर्गत 90(ए) भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

## निर्णय

दिनांक : 26.10.2021

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 14.07.2016 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 90(ए) भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को ग्राम घाटरी की आराजी खसरा नम्बर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

181/1 रकवा 2 वीघा ग्राम घाटरी पर कार्यालय आवास व रास्ता पक्का माल डालकर बिना भूमि रूपान्तरण कराये कृषि भूमि का अकृषि भूमि का उपयोग करने पर बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खिलाफ कानून व विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही अवैधानिक की है उसका खसरा नम्बर 181/1 से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही उसमें कोई कच्चा पक्का माल पडा है एवं न ही उसमें कार्यालय आवास है। अपीलान्ट ने अपना केशर नियमानुसार भूमि संपरिवर्तन कराकर स्थापित किया है जिसमें उसका कार्यालय है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट सख्या 2 का आराजी खसरा नम्बर 181/1 है, जिसमें उसका आवास कार्यालय बना हुआ है तथा उसका कच्चा पक्का माल पडा हुआ है। लघु उद्योग में ईटों का कारोवार करने हेतु उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है तथा राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.10.2016 के अनुसार कृषक एक एकड भूमि तक अपनी खातेदारी की भूमि को लघु उद्योग के कार्य में बिना संपरिवर्तन कराये काम में ले सकता है, इससे भूमि की किस्म नहीं बदलती है, भूमि कृषि भूमि ही मानी जावेगी। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट 2 के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट कयास के आधार पर है व गलत हैं। रिपोर्ट के सम्बन्ध में पटवारी हल्का के बयान भी नहीं लिये गये है। अपीलान्ट को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और एकतरफा में कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ



अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

न्यायालय ने सारे विधिक प्रावधानों को ताक में रखकर बेदखली के आदेश के साथ ही माल को कब्जेराज लेने व उसकी नीलामी के अवैधानिक आदेश पारित किया है। जबकि माल जब्ती की कार्यवाही पत्रावली उपलब्ध नहीं है। अपीलाधीन आदेश का पता अपीलान्टान को दिनांक 04.11.2019 को पटवारी हल्का के द्वारा बताने पर हुआ है। अपीलान्ट ने दिनांक 05.11.2019 को तहसील में जाकर उक्त आदेश की जानकारी की तथा उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र देकर नकल प्राप्त की गई। असल जानकारी दिनांक 05.11.2019 से अपील अन्दर म्याद है। फिर भी म्याद को माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 म्याद अधिनियम अपील के साथ पेश किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 90(ए) के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार ने अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.07.2016 द्वारा मॉ कैलादेवी स्टोन क्रेशर के आराजी खसरा नम्बर 181/1 रकवा 2 वीघा पर बेदखल किये जाने एवं उक्त रकवे पर बने हुये कार्यालय आवास व माल को कब्जेराज करने के आदेश दिये गये है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 को अपीलान्ट संख्या 1 के विरूद्ध अवैधानिक बताते हुये कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 181/1 से अपीलान्ट संख्या 1 का कोई सरोकार नहीं है। अपीलान्ट सख्या 1 के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 182 ग्राम घाटरी को विधिवत संपरिवर्तन कराने के बाद उपयोग में लिया जा रहा है। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 181/1 रकवा 2 वीघा ग्राम घाटरी सावलिया पुत्र टीकाराम कोली बारोली खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रथमतः जिस आराजी खसरा नम्बर के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने के आधार पर 90ए भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। वह अपीलान्ट संख्या 2 की खातेदारी की है। अपीलान्ट संख्या 1 का उक्त खसरा नम्बर से कोई सरोकार नहीं है और जहां तक उक्त आराजी के अकृषि प्रयोजन उपयोग का प्रश्न है जैसा कि रिपोर्ट पटवारी दिनांक 25.01.2016 में उक्त खसरा नम्बर पर आवास, रास्ता, कार्यालय व कच्चा पक्का माल डालकर गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने की रिपोर्ट की है। राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 06.10.2016 के अनुसार खातेदारी भूमि पर लघु श्रेणी उद्योग एवं कजावा का एक एकड भूमि पर बिना संपरिवर्तन कराये काम में लिये जाने का प्रावधान है। आराजी खसरा नम्बर 181/1 ग्राम घाटरी पर आवास बनाकर एवं कच्चा पक्का माल डालकर उपयोग में ले रखा है, जो राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 06.10.2016 के अनुसार अनुमति की श्रेणी में आता है। आराजी खसरा नम्बर 181/1 पर सांवलिया ने सीमेन्ट उद्योग के नाम से रजिस्ट्रेशन करा रखा है। हालांकि उक्त रजिस्ट्रेशन नबम्बर 2019 में किया हुआ है जबकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 रजिस्ट्रेशन से पूर्व का है तथापि राजस्व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

विभाग के परिपत्र दिनांक 06.10.2016 अनुसार एक एकड तक लघु उद्योग हेतु अकृषि प्रयोग बिना संपरिवर्तन के अनुमत होने के कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 विधि सम्मत नहीं होने के कारण निरस्तनीय हैं।

**अतः आदेश है कि:–**

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार भुसावर को तहत पत्रावली के साथ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को सुनाया गया।

**(बीना महावर)**
**अतिरिक्त जिला कलक्टर**
**भरतपुर (राज.)**